

इस संबंध में निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), पू०वि०वि०नि०लि०, वाराणसी को शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायती प्रकरणों की जाँच हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन (मुख्यालय) की जांच समिति को संदर्भित कर दिया गया है।

जी हाँ।

जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ए० के० शर्मा

ऊर्जा मंत्री